

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास भागीरथ राम R.A.S

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
वीराराम पुत्र हेमाजी जाति कुम्हार निवासी पोसालिया तह0 शिवगंज		1.चैनाराम पुत्र केसाजी कुम्हार 2.छोपाराम पुत्र केसाजी कुम्हार 3.शांतिदेवी पत्नी केसाराम कुम्हार 4.भूवाराम पुत्र चमनाजी कुम्हार 5.मछाराम पुत्र चमनाजी कुम्हार 6.दिनेश पुत्र चमनाजी कुम्हार 7.राजु पुत्र चमनाजी कुम्हार 8.सोनी पुत्री चमनाजी कुम्हार 9.सुमटी पत्नी चमनाजी कुम्हार 10.छोगाराम पुत्र नारायणजी कुम्हार 11.खीमाराम पुत्र दानाजी कुम्हार 12.गणेशाराम पुत्र दानाजी कुम्हार 13.कुपा पुत्र दानाजी कुम्हार 14.सुखी पुत्री दानाजी कुम्हार 15.लसी पत्नी दानाजी कुम्हार 16.वक्ताराम पुत्र जैसाजी कुम्हार 17.नोपाराम पुत्र जैसाजी कुम्हार 18.कुपाराम पुत्र जैसाजी कुम्हार 19.करानाराम पुत्र भूराजी कुम्हार 20.टेकाराम पुत्र भूराजी कुम्हार 21.चतराराम पुत्र भूराजी कुम्हार 22.नगाराम पुत्र भूराजी कुम्हार 23.मीठाराम पुत्र वरदाजी कुम्हार 24.शंकरा पुत्र वरदाजी कुम्हार 25.कस्तुरा पुत्र वरदाजी कुम्हार 26.धनाराम पुत्र देवाजी कुम्हार 27.लुवाराम पुत्र देवाजी कुम्हार 28.समीया पुत्र मेघाजी कुम्हार 29.वेला पुत्र मेघाजी कुम्हार 30.रमेश पुत्र मेघाजी कुम्हार 31.शांति पुत्री मेघाजी कुम्हार 32.राजी पत्नी मेघाजी कुम्हार 33.कानिया पुत्र धरमाजी कुम्हार निवासीयान-पोसालिया तह0 शिवगंज 34.राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज



विद्वान अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या 26/2017

—:निर्णय:—

दिनांक 22.06.2022

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री क्रमांक 473 दिनांक 17.09.2020 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पत्राक/राजस्व/पीडी/2021/3938 दिनांक 30.12.2021 से वादग्रस्त भूमि मौजा पोसालिया पटवार हल्का पोसालिया के खसरा नम्बर क्रमशः 365, 366, 367, 365 रकबा क्रमशः 00-06, 0-19, 7-07, 36-07 बीघा कुल कित्ता 4 कुल 45-01 बीघा भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका अधिवक्ता को अवलोकन करवाया गया एवं वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पूर्व में प्रतिवादी सं0 1 ता 33 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव में वादी अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगणों को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्की किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय अमिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्की पर्चा मुतिय हो।

आज दिनाक 22.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

प्रतिलिपि पालनार्थ:- तहसीलदार शिवगंज।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)